# न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 119/2020

GCMS NO. : 2020/000237

-: प्रार्थी :-

1. परसाराम पुत्र धाराराम जाति- जाट, निवासी- बीटन तहसील- मेड़ता सिटी जिला- नागौर(राज0)

बनाम

-: अप्रार्थीगण :-

1. भंवरसिंह पुत्र गंगाविशन जाति- पुरोहित, निवासी- बिकरलाई, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0।
2. तहसीलदार जैतारण, भूमिधारी राजस्थान सरकार।

**राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

तारीख रजू:. 06/10/2020

उपस्थितः-

1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

-:: निर्णय ::- दिनॉक:- 26/08/2021

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थनापत्र प्रार्थी की और से निम्नलिखित है :- सरहद मौजा निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल मे प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1140 रकबा 21-02 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है। जिसमे प्रार्थी 1/2 हिस्से का रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबन्दी प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1140 मे जाने के लिये राजस्व रेकर्ड मे कोई रास्ता अलग से तरमीम नहीं हो रखा है तथा पास मे चिपते ही उत्तर दिशा मे सरहद बिकरलाई की कृषि भूमियां आ जाती है, जिसमे अपार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा बिकरलाई पटवार हल्का रामावासकलां मे स्थित खसरा नम्बर 66 रकबा 9-07 बीघा किस्म बारानी अव्वल आई हुई है। उपरोक्त अप्रार्थी की कृषि भूमि निम्बोल से बिकरलाई जाने वाली सड़क के चिपते ही स्थित है अर्थात अप्रार्थी की कृषि भूमि मे आने जाने के लिये निम्बोल से बिकरलाई जाने वाली सडक है, अप्रार्थी की कृषि भूमि के दक्षिण दिशा में प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई है जो सरहद निम्बोल मे स्थित है। नकल जमाबन्दी अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि की प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। प्रार्थी की भूमि मे जाने हेतू एक मात्र रास्ता अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 66 से होकर के [illegible] जो नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शाया गया है उक्त रास्ते से प्रार्थी [illegible] कृषि भूमि मे आता जाता था एवं अपने कृषि कार्य को निष्पादित करता [illegible] कुछ समय मे अप्रार्थी ने उक्त रास्ते को बंद कर दिया। उक्त रास्ते को बंद करने से प्रार्थी की भूमि मे जाने के लिये कोई [illegible] नजदीक [illegible] मौके पर एवं राजस्व रेकर्ड मे कोई वैकल्पिक रास्ता नही है, न ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:57:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

रास्ता है जिससे प्रार्थी सुविधाजनक अपनी कृषि भूमि मे आ जा सके। नजरी नक्शे मे लाल रंग से जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है वो एक मात्र वेकल्पिक रास्ता प्रार्थी की कृषि भूमि मे आने जाने के लिये सबसे निकटतम् रास्ता है, परन्तु अप्रार्थी ने उक्त रास्ते पर कांटे डालकर मिट्टी की पाल लगाकर बंद कर दिया जिससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि मे आ जा नही सकता है। इसलिए प्रार्थी की और से रास्ता हेतू यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रार्थनापत्र के साथ नजरी नक्शा प्रस्तावित रास्ते बाबत् पेश किया जा रहा है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज किया जाकर प्रार्थी को अपनी भूमि मे आने जाने हेतू रास्ता उपलब्ध करवाया जावे इस हेतू यह प्रार्थनापत्र पेश है। प्रार्थी पहले कई वर्षो से अपनी भूमि मे आने जाने हेतू इसी प्रस्तावित रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहा था परन्तु दिनांक 08/09/2020 को अप्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते को बंद कर देने से अब प्रार्थी के पास कोई वेकल्पिक रास्ता नही बचा तब प्रार्थी ने अप्रार्थी को रास्ता देने के लिये समझाईस की परन्तु अप्रार्थी ने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया तब प्रार्थी के पास कोई वेकल्पिक अनुतोष एवं निकटतम् रास्ता उपलब्ध नही होने से यह प्रार्थनापत्र घोषित करवाने रास्ता का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। प्रार्थी की आराजी मे आने जाने हेतू प्रस्तावित रास्ता है व नजरी नक्शे मे दर्शाया गया उसी अनुसार प्रार्थी को अपनी आराजी मे आने जाने हेतू सावर्जनिक रास्ता घोषित किया जावे इस हेतू प्रार्थी डी एल सी रेट की दुगुनी राशि जमा करवाने को तैयार है। इसलिए प्रार्थी को अपनी आराजी मे आने जाने हेतू डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि जमा कर मौके पर नजरी नक्शे के अनुसार रास्ते का नाप चौप कर उसका राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज कर नक्शे मे तरमीम किया जाकर सावर्जनिक रास्ता घोषित किया जावे एवं रास्ता घोषित होने के पश्चात मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 उक्त रास्ते को खुलवाकर प्रार्थी को अपनी आराजी मे आने जाने हेतू रास्ते की सुविधा प्रदान करावे। प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजात तथा नजरी नक्शा प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि ख0नं0 1140 जो सरहद मौजा निम्बोल मे आई हुई है जिसमे जाने के लिये अप्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 66 जो सरहद मौजा बिकरलाई मे आई हुई है उक्त खसरा नम्बर 66 की भूमि मे से माफिक नजरी नक्शे अनुसार प्रार्थी को अपनी भूमि मे जाने हेतू रास्ता उपलब्ध करवाया जाकर नजरी नक्शे में वर्णित रास्ते का नापचौप कर राजस्व रेकर्ड मे सावर्जनिक रास्ता का इन्द्राज अलग से किया जावे एवं ट्रेस नक्शे मे उक्त रास्ते को अलग से तरमीम कर नेखमबंदी व पत्थरगड्डी जावे तथा प्रार्थी द्वारा रास्ते की एवज मे बनने वाली राशि जमा होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 उक्त रास्ते को मौके पर खुलवाकर प्रार्थी व अन्य काश्तकारो को कृषि भूमियो मे आने जाने हेतू सावर्जनिक रास्ता घोषित करावे। प्रार्थनापत्र की रूह से अन्य कोई सहायता हो तो प्रार्थी को दिलायी जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया जो सामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 01 में वर्णित तथ्यों को जवाब है कि खसरा संख्या 1140 मौजा निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:37:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

की भूमि पूर्व में राजेन्द्र प्रसाद व अन्य की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की थी। जिनसे जनवरी 2020 में जरिये बैचान विलेख के प्रार्थी परसाराम ने 1/2 हिस्से की भूमि खरीद की हैं। इस प्रकार से उक्त भूमि प्रार्थी की वर्षों पूर्व की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि होनें के कतई गलत होनें से अस्वीकार है, साथ ही इस खसरा नम्बर 1140 की भूमि के 1/2 हिस्से के सहहिस्सेदारों को वाद पक्षकार नही बनाये जाने से भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होनें से खारिज किया जावें। में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबूनियाद होनें से अस्वीकार है, साथ ही प्रार्थीगण ने इस प्रकरण में प्रस्तावित रास्ता एवं उसका नजरी नक्शा बताया है उक्त प्रस्तावित रास्ता व उसका नजरी नक्शा कतई गलत है। वास्तविकता में इस पद में वर्णित अनुसार मौके पर सेटलमेन्ट से लगायत आज दिन तक न तो मौके पर कोई रास्ता रहा है न ही वर्तमान में ऐसा कोई रास्ता चल रहा है। प्रार्थीगण ने पूर्णतया कपोल कल्पित व झूठा नजरी नक्शा मौका स्थिति के विपरित नजरी नक्शा बनाकर यह कार्यवाही पेश की है जो कतई गलत है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1140 में आवागमन के लिये खसरा नम्बर 1141 मौजा निम्बाल के उत्तरी पूर्वी से होते हुये खसरा नम्बर 77 मौजा बिकरलाई से होकर खसरा नम्बर 508 रास्ते तक आवागमन के लिये पक्की मुडिडया सड़क बनी हुई है जो मौके पर खुले रास्ते के रूप में बतौर आवागमन के लिये प्रार्थी परसाराम द्वारा काम में ली जा रही है।यह भी उल्लेखनीय है कि खसरा नम्बर 1141 रकबा 29 बीघा की भूमि के खातेदारी अमराराम पुत्र पोकरराम एवं शेख मोहम्मद वगैरा ने बजरी खनन के लिये लीज भी राज्य सरकार से इसी खसरा नम्बर 1141 में करवा रखी है। जहां पर हर समय हल्के व भारी वाहनों का आवागमन चलता रहता है। इस प्रकार से खसरा नम्बर 1141 के उत्तरी पूर्वी तरफ होते हुये डामर सड़क के रूप में मौके पर रास्ता चलता रहता है जो खसरा नम्बर 508 रास्ते से होते हुये सुचारू रूप से चल रहा है। इस प्रकार से मौका स्थिति अनुसार यह स्वीकृत स्थिति है कि खसरा नम्बर 1140 की भूमि आवागमन के लिये पृथक से रास्ता कायम है। जिसमे अल्पमात्र में खातेदारी भूमि काम में आ रही है। एवं उक्त रास्ता अल्पतम भी है। तब ऐसी परिस्थिति में जवाब देहन्दा की खातेदारी भूमि से होते हुये प्रार्थी को नये सिरे से कोई रास्ता दिया जाना कतई न्यायोचित एवं विधि सम्मत नही है। प्रार्थी के लिये विकल्पेन खसरा नम्बर 1140 की भूमि के उत्तरी पश्चिमी तरफ स्थित खसरा नम्बर 1128 व 1129 की भूमि से होता हुआ रास्ता जो कि सरहद बिकरलाई की सीमा रेखा से पश्चिमी तरफ भी मौके पर वर्षो से रास्ता सरहद निम्बोल की भूमि में चल रहा है। जिससे भी साबित है कि प्रार्थी को नये सिरे से जवाब देहन्दा की खातेदारी भूमि में पृथक से रास्ता दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिये भी [illegible] उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जायें। कि इस [illegible] प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में बताये अनुसार जवाब देहन्दा के खसरा नम्बर [illegible] की भूमि से होते हुये मौके पर सेट्लमेन्ट से लगायत आज दिन खसरा नम्बर [illegible]140 की भूमि से आवागमन के लिये कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है। साथ ही खसरा नम्बर 1140 की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:57:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

में आवागमन के लिये मौके पर विकल्पेन रास्ता उपलब्ध होने से साथी को नये सिरे से रास्ता दिलवाये जाने की कतई कोई आवश्यकता नही होने से भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाये। उक्त तथ्यों के अलावा इस पद में वर्णित तमाम तथ्य झूठे व बेनियाद होने से अस्वीकार प्रार्थना पत्र के पद संख्या में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने जनवरी 2020 से हो खसरा नम्बर 1140 में से 1/2 हिस्से को भूमि खरीद की है। पूर्व में उक्त भूमि राजेन्द्र प्रसाद व अन्य की थी। इस प्रकार से प्रार्थी का यह कथन कि वो पूर्व से खसरा नम्बर 6 की भूमि से होते हुये निकलता था कतई गलत होने से अस्वीकार है। साथ प्रार्थी ने मौका स्थिति के विपरित झूठा नजरी नक्शा बनाकर के पेश किया है। प्रार्थी स्वयं ग्राम बिट्ठन तहसील मेड़ता सिटी का रहने वाला होने से मौके पर प्रार्थी का आज दिन तक कोई काश्त नही की है। बल्कि इस खसरा नम्बर 1140 के दक्षिणी तरफ अमराराम व अन्य जो कि प्रार्थी के सगे नजदीकी रिश्तेदार है कि खातेदारी जमीन स्थित है जिस पर अमराराम व अन्य ने बजरी खान की लीज करवा रखी है। उक्त लीज क्षेत्र में खसरा नम्बर 77 मौजा बिकरलाई की भूमि से होता हुआ पक्का मुरड़ सड़क बना हुआ है। जहां पर हर समय चार पहिया वाहन चलते रहते है। इस प्रकार से खसरा नम्बर 1140 की भूमि में आवागमन के लिये पृथक से रास्ता स्थित होने से प्रार्थी को नये सिरे से रास्ता दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कि इस पद में प्रार्थी ने इस पद में वैकल्पिक रास्ता नही होने के आधार पर जो कार्यवाही पेश की है वह कतई गलत है। मौके पर उपर वर्णित अनुसार पूर्व में ही रास्ता चल रहा है। इस प्रकार से प्रार्थी को नये सिरे से रास्ता दिलवाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी की ओर से मौका स्थिति के विपरित झूठा नजरी नक्शा बनाकर के पेश किया गया है जो कतई गलत होने से अस्वीकार है। साथ ही मौके पर प्रार्थी के खेत में आवागमन के लिये चल रहे इस रास्ते की मौका स्थिति के रंगीन फोटोग्राफ भी इस जवाब के साथ पेश किये जा रहे है। जिससे भी साबित है कि उक्त रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक चल रहा है। उसके बावजूद भी प्रार्थी ने इस कार्यवाही में झूठे तथ्यो का समावेश करते हुये रास्ता होना उल्लेखित किया है। विधिक प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी के नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार प्रार्थी रास्ता लेने का भी कतई अधिकारी नहीं है बल्कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 1141 मौजा निम्बोल व खसरा नम्बर 77 मौजा बिकरलाई की भूमि जो गौचर मे से होकर आम रास्ता मौके पर चल रहा है। जो आज दिन तक कायम है। उसके बावजूद भी प्रार्थी ने यह झूठी कार्यवाही पेश की है। जिसमें मौके पर विकलपेन कोई रास्ता नही होने के तथ्य भी झूठे लिखित किये है एवं आवागमन बाबत अपना सुखाचार होने के तथ्य भी प्रार्थी ने झूठे तथ्य उल्लेखित किये है। जो कतई असत्य होने से अस्वीकार है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1140 आवागमन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:57:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

का रास्ता जवाब देहन्दा की खातेदारी भूमि में से होकर कभी नहीं रहा है। न ही इस कार्यवाही में वर्णित अनुसार मौके पर कोई रास्ता है। इसके बावजूद भी प्रार्थी ने मौका स्थिति के विपरीत झूठा नजरी नक्शा बनाकर इस झूठे नजरी नक्शे को आधार बनाकर यह निराधार कार्यवाही की है जो काबिल खारिज के हैं। मौके पर खसरा नम्बर 1141 मौजा निम्बोल व खसरा नम्बर 77 मौजा बिकरलाई के गौचर की भूमि जिस पर आवागमन हेतु मुरड़ की सड़क बनी हुई होकर उस दुपहिया व चौपहिया वाहनों का आवागमन हो रहा है। उक्त रास्ता की मौका स्थिति का नजरी बनाकर इस जवाब के साथ पेश किया जा रहा है। उक्त रास्ता की मौका स्थिति का नजरी नक्शा बनाकर इस जवाब के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमें मौके पर चल रहे रास्ते को नजरी नक्शे में मार्क ए.बी.सी. से दर्शाया जा रहा है। साथ ही मौके पर पीढीयों से चल रहे इस रास्ते की मौका स्थिति के रंगीन फोटोग्राफस् भी इस जवाब के साथ पेश किये जा रहे हैं जिससे भी साबित है कि उक्त रास्ता जवाब देहन्दा की खातेदारी भूमि से कभी भी नहीं निकलता है। जवाब देहन्दा की खातेदारी भूमि में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मूंग तिल्ली की फसल बोयी हुई है। इस प्रकार प्रार्थी ने इस कार्यवाही में झूठे तथ्यों का समावेश करते हुये रास्ता होना उल्लेखित किया है। विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी नजरी नक्शें में दर्शित स्थल से रास्ते लेनें के भी कतई अधिकारी नहीं है बल्कि प्रार्थीगण का रास्ता गावाई गोचर से होकर चल रहा है। जो आज दिन तक कायम है। उसके बावजूद भी प्रार्थी ने झुठी कार्यवाही पेश की है। जिसमें मोके पर विकलपेन कोई रास्ता नहीं होनें के तथ्य भी झुठे लिखे है। जो कतई असत्य होनें से अस्वीकार है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होनें से अस्वीकार हैं। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबूनियाद होनें से अस्वीकार हैं। जवाब देहन्दा की खातेदारी भूमि के चारों तरफ मिट्टी की खन्दक लगाकर वर्षो पूर्व से उस पर कांटों की बाड़ व तारबन्दी की हुई है। उसके बावजूद भी प्रार्थी ने इस कार्यवाही में झूठे तथ्यों का समावेश करते हुये रास्ता होना उल्लेखित किया है। जो कतई असत्य होनें से अस्वीकार हैं। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होनें से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य, झूठे व बेबुनियाद होनें से अस्वीकार है। इस पद में वर्णित अनुसार दिनांक 08.09.2020 या अन्य किसी भी दिवस पर प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच रास्ते बाबत् कोई बिनाद वाद नहीं हुआ था। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 07 में वर्णित अनुसार प्रार्थी किसी भी रास्ते बाबत् अनुतोष प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं है। इस जवाब में उपर वर्णित अनुसार प्रार्थी के लिये पूर्व से ही विकलपेन रास्ता मौजूद है तो प्रार्थी को पृथक से रास्ता दिलवाये जानें की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही डीएलसी रेट बाबत [illegible] भी कराई गलत है। प्रार्थी इस पद में वर्णित अनुसार रास्ता घोषित करवाने [illegible] खुलवाने का भी अधिकारी नहीं हैं उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होनें से अस्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजात् के अप्रार्थी की ओर से पेश कर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:57:18 IST
Reason: SelfAttested

निवेदन है कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज योग्य होनें से खारिज फरमाया जावें।

उक्त संबंध में तहसीलदार जैतारण को क्रमांक/कोर्ट/2020/1195 दिनांक 29/12/2020 व क्रमांक/कोर्ट/2021/655 दिनांक 03/08/2021 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों अनुसार रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक/भु.अ./21/132 दिनांक 12.01.2021 एवं भू अभिलेख निरीक्षक बेड़कल्ला की रिपोर्ट दिनांक 04.01.2021 तथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैड़कल्ला, भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल व पटवारी निम्बोल एवं रामावास कलां की संयुक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 30.03.2021 एवं अप्रार्थी के आवेदन पर अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अंकित कथनों के आधार पर मौका एवं रेकर्ड के आधार पर भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल द्वारा पुनः जांच रिपोर्ट चाही गई जो दिनांक 05.08.2021 को भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कि गई। जो सामिल पत्रावली की गई। अद्यतन भू अभिलेख के अनुसार बाद खाता विभाजन वर्तमान खसरा संख्या 1249/1140 रकबा 1.7077 हैक्टेयर है, जिसका प्रार्थी एकमात्र खातेदार है।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया।

प्रार्थनापत्र, जवाब प्रार्थनापत्र, प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक बेड़कल्ला एवं भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन, भू अभिलेख एवं भू नक्शा तथा संगत विधिक प्रावधानों के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :–

*1. रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैः–*

*251– क "अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना सा विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–(1) जहां*

*(क)– कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या*

*(ख)– कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–*

*और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि–*

*(A)– यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और*

*(B)– अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट [illegible] नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सि[illegible] [illegible] [illegible] भूमि को धारित करता है,*

*तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, [illegible] [illegible] भूमि की [illegible] तह से कम से कम तीन फुट द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की [illegible] जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर,*

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:57:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जावे तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जावे, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2)- जहां-उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जावेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जावेगी।

(3)- वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जावे, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार स्पष्ट है कि रास्ते सम्बन्धी प्रकरणों में संक्षिप्त जांच उपरान्त निस्तारण अपेक्षित होता है।

2. प्रार्थी खातेदार द्वारा प्रार्थनापत्र में यह अंकित किया है कि ग्राम निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल के खसरा संख्या 1140 रकबा 21-02 बीघा किस्म बारानी दोयम के बाद खाता विभाजन वर्तमान खसरा संख्या 1249/1140 रकबा 1.7077 हैक्टेयर तक पहुंच के लिये वर्तमान में कोई अभिलिखित रास्ता नहीं उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी के खेत से लगते ही उत्तर दिशा में सरहद ग्राम बिकरलाई की कृषियां भूमियां है तथा ग्राम बिकरलाई का खसरा संख्या 66 रकबा 09-07 बीघा किस्म बारानी अव्वल जो अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है तथा प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी पर स्थित अभिलिखित रास्ता निम्बोल बिकरलाई सड़क मार्ग एवं प्रार्थी के खेत के मध्य अप्रार्थी का उक्त खेत स्थित है। अतः माफिक नजरी नक्शे के अनुरूप प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1140 वर्तमान खसरा संख्या 1249/1140 रकबा 1.7077 हैक्टेयर सरहद मौजा निम्बोल के पहुंच के लिये अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 66 सरहद मौजा बिकरलाई में से कानूनन सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जावें। जिसकी प्रतिकर राशि का भुगतान करनें के लिये प्रार्थी सहमत है।

3. अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा झूठा नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 1140 वर्तमान खसरा संख्या 1249/1140 रकबा 1.7077 हैक्टेयर तक आवागमन के लिये खसरा संख्या 1141 सरहद मौजा निम्बोल के उत्तर पूर्व से होते हुये खसरा संख्या 77 सरहद मौजा बिकरलाई से होते हुये खसरा संख्या 508 रास्ते तक पक्की मुड़या सड़क बनी हुई है। अप्रार्थी की खातेदारी से प्रार्थी के खेत के लिये कभी आवागमन नहीं रहा है। प्रार्थी को अपने खेत तक आने जाने के लिये कोई असुविधा नहीं हो रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमावें।

4. जमाबन्दी ग्राम निम्बोल तहसील जैतारण संवत 2073-2076 के अनुसार खसरा नम्बर 1140 रकबा 21-02 किस्म बारानी [illegible] वर्तमान अद्यतन भू अभिलेख के अनुसार खसरा संख्या 1249/1140 [illegible] में प्रार्थी एकमात्र अभिलिखित खातेदार है तथा भू नक्शा ग्राम [illegible] एवं बिकरलाई के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगता हु[illegible] कोई अभिलिखित रास्ता तरमीम नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:57:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली).

5.प्रकरण में न्यायालय हाजा के आदेश से भू अभिलेख निरीक्षक बेड़कल्ला की रिपोर्ट दिनांक 04.01.2021 तथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेड़कल्ला, भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल व पटवारी निम्बोल एवं रामावास कलां की संयुक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 30.03. 2021 एवं अप्रार्थी के आवेदन पर अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अंकित कथनों के आधार पर मौका एवं रेकर्ड के आधार पर भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल द्वारा पुनः जांच रिपोर्ट चाही गई जो दिनांक 05.08.2021 को भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टस् के अनुसार (1.) प्रार्थी की आराजी खेत खसरा संख्या 1140 रकबा 21-02 बीघा वर्तमान खसरा संख्या 1249/1140 रकबा 1.7077 हैक्टेयर तक पहुंच के लिये कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा रास्ते की कि गई मांग आत्यंतिक आवश्यकता है। (2.) भू अभिलेख निरीक्षक बेड़कलां व भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल की संयुक्त द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं फर्द मौका दिनांक 04.01.2021 के अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1140 वर्तमान खसरा संख्या 1249/1140 रकबा 1.7077 हैक्टेयर मौजा निम्बोल तक पहुंच के लिये निकटतम अभिलिखित रास्ता ग्राम निम्बोल बिकरलाई सड़क मार्ग से न्यूनतम दूरी का विकल्प अप्रार्थी की खातेदारी आराजी ग्राम बिकरलाई के खसरा संख्या 66 की सीमा के सहारे नजरी नक्शा में लाल स्याही से A से B के रूप में अंकित है जिसकी लम्बाई 80 गठ्ठा है। इसी प्रकार अप्रार्थी की मांग पर न्यायालय हाजा द्वारा पुनः चाहे जाने पर भू अभिलेख निरीक्षक बेड़कला एवं निम्बोल द्वारा दिनांक 30.03.2021 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत फर्द मौका जांच रिपोर्ट में हरी स्याही अंकित वैकल्पिक रास्ता C से D को भी न्यूनतम एवं निकटतम एकमात्र विकल्प दर्शाया गया है, जो बिकरलाई निम्बोल सड़क मार्ग से अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 66 की सीमा के सहारे प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1140 वर्तमान खसरा संख्या 1249/1140 रकबा 1.7077 हैक्टेयर तक पहुंचता है जिसकी लम्बाई 80 गठ्ठा दर्शाई गई है। (3.) अप्रार्थी द्वारा सरहद मौजा निम्बोल में सुझाया गया वैकल्पिक रास्ता जो भू अभिलेख निरीक्षक बेड़कला एवं निम्बोल द्वारा दिनांक 30. 03.2021 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत फर्द मौका जांच रिपोर्ट में लाल स्याही अंकित वैकल्पिक रास्ता A से B से अंकित किया गया है, जो बिकरलाई निम्बोल सड़क मार्ग से सरहद मौजा निम्बोल के खातेदारी खसरा संख्या 1129, 1138, 1139 से होते हुये प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1140 वर्तमान खसरा संख्या 1249/1140 रकबा 1. 7077 हैक्टेयर की सीमा तक पहुंचना दर्शाया गया है, जिसकी कुल लम्बाई 140 गठ्ठा होगी। अप्रार्थी द्वारा सुझाया गया अन्य वैकल्पिक रास्ता फर्द मौका में दिनांक 05.08. 2021 में A से B जो खसरा संख्या 77 व 1141/2 से होते हुये प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1140 वर्तमान खसरा संख्या 1249/1140 रकबा 1.7077 हैक्टेयर तक दर्शाया गया है, भू अभिलेख के अनुसार खसरा संख्या 77 ग्राम बिकरलाई गैर मुमकिन गोचर भूमि है तथा खसरा संख्या 1141/2 खातेदार भींयाराम पुत्र गणेशराम की खातेदारी भूमि है। अतः भू अभिलेख में खसरा संख्या 1140 वर्तमान खसरा संख्या 1249/1140 रकबा 1.7077 हैक्टेयर सरहद मौजा निम्बोल के पहुंच के लिये वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, साथ ही उक्त विकल्प प्रस्तावित करने पर कुल लम्बाई 174 गठ्ठा होती है। इसी प्रकार अप्रार्थी द्वारा सुझाया गया अन्य वैकल्पिक रास्ता फर्द मौका में दिनांक 05.08.2021 में C से D दर्शाया गया जो खसरा संख्या 77, 509, 1142 व 1141/1 से होते हुये प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1140 वर्तमान खसरा संख्या 1249/1140 रकबा 1.7077 हैक्टेयर तक दिखाया गया है, भू अभिलेख के अनुसार खसरा संख्या 77 व 509 ग्राम बिकलाई की गैर मुमकिन गोचर भूमि है तथा खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:37:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

संख्या 1141/1 व 1142 खातेदारी भूमि के रूप में दर्ज है। उक्त विकल्पिक रास्ता प्रस्तावित करनें पर कुल लम्बाई 480 गठ्ठा होती है।

6. इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा रास्ते के लिये की गई मांग केवल सुविधा के लिये ना होकर आत्यंतिक आवश्यकता है तथा प्रार्थी के खातेदारी खेत तक पहुंच के लिये वैकल्पिक पहुंच मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ है। पूर्व विवेचित बिन्दु संख्या 05 के उपबिन्दु संख्या (2) के अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1140 वर्तमान खसरा संख्या 1249/1140 रकबा 1.7077 हैक्टेयर तक पहुंच के लिये न्यूनतम एवं निकटतम रास्ते के विकल्पिक के रूप में अप्रार्थी के खसरा संख्या 66 की सीमा के सहारे ग्राम निम्बोल बिकरलाई सड़क मार्ग से प्रार्थी के खेत तक कुल 80 गठ्ठा लम्बा मार्ग प्रस्तावित है। जो कि कानूनन सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ते के रूप में स्वीकार करनें योग्य है, जिसके प्रतिकर का भुगतान प्रार्थी से अप्रार्थी को करवाया जाना है। इसी प्रकार बिन्दु संख्या 05 के उपबिन्दु संख्या (3) में अप्रार्थी द्वारा सुझाये गये समस्त वैकल्पों का विवेचन किया गया है, प्रथम तो उपर्युक्त सभी विकल्प भू अभिलेख में रास्ते के रूप में अभिलिखित नहीं है तथा यदि इन्हें वैकल्पिक रास्ते के रूप में सार्वजनिक रास्ता घोषित किया भी जाता है, तो इन में से प्रत्येक की कुल लम्बाई अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या .66 से प्रस्तावित रास्ते की कुल लम्बाई से अधिक होगी अतः इन्हें कानूनन वैकल्पिक रास्ते के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः अप्रार्थी की आपत्तियां एवं सुझाये गये विकल्प विधि अनुकुल नहीं होनें के कारण खारिज/अस्वीकार किये जाते है।

7. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील जैतारण द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार प्रभावित अप्रार्थी के खातेदारी खसरा संख्या 66 की भूमि की वर्तमान प्रचलित डी. एल. सी. दर 3,35,500 रूपयें प्रति हैक्टेयर अर्थात् 54,309 रूपयें प्रति बीघा है।

8. कानूनन प्रार्थी खातेदार की मांग पर 30 फीट चौड़ा रास्ता बतौर गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुये ग्राम बिकरलाई के अप्रार्थी के खसरा संख्या 66 की सीमा के सहारे नजरी नक्शे में दर्शाये अनुरूप ग्राम बिकरलाई से निम्बोल सड़क मार्ग से प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1140 वर्तमान खसरा संख्या 1249/1140 रकबा 1.7077 हैक्टेयर तक पहुंच के लिये 528 फीट लम्बा तथा 30 फीट चौड़ा अर्थात् कुल 360 वर्ग गठ्ठा अर्थात कुल 15840 वर्ग फुट अर्थात 18 बिस्वा भूमि अप्रार्थी की खातेदारी में से कम की जाकर गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाना एवं जिसके प्रतिकर राशि स्वरूप राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70 के प्रावधान अनुसार प्रचलित डी.एल. सी. दर की दुगुनी राशि अर्थात प्रभावित ग्राम बिकरलाई के खसरा संख्या 66 की डी.एल. सी. दर 54309/- रूपयें प्रति बीघा से दुगुना अर्थात 1,08,618 रूपयें प्रति बीघा की दर से रास्ते के लिये प्रयुक्त कुल भूमि 18 बिस्वा की प्रतिकर राशि 97,756/- रूपयें निर्धारित कि जाती है, जिसका भुगतान प्रार्थी से लेकर अप्रार्थी को किया जाना है। अप्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर 66 में रकबा 18 बिस्वा का सार्वजनिक रास्ता कायम करने के आदेश दिए जाने एवं उक्त राशि वसूल करने के पश्चात् ही रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पत्थरगढ़ी / नेखमबन्दी करवाया जाना उचित समझते हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:57:18 IST
Reason: SelfAttested

## -:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होने से

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

स्वीकार किया जाता है। सरदह मौजा- बिकरलाई पट्वार हल्का-रामावास, तहसील-जैतारण के खसरा संख्या 66, रकबा 09-07 बीघा, बारानी अव्वल की सीमा(माठ) के सहारे उक्त खसरे की भूमि में से होकर प्रार्थी के खसरा संख्या 1140 वर्तमान खसरा संख्या 1249/1140 रकबा 1.7077 हैक्टेयर सरहद मौजा निम्बोल की सीमा तक 528 फिट लंबा एवं 30 फिट चौड़ा, जिसका कुल रकबा 18 बिस्वा है, अप्रार्थी खातेदार भंवरसिंह की खातेदारी भूमि में से कम करते हुये, इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता, सिवाय चक दर्ज किए जानें के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार, जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रास्ता की भूमि के प्रतिकर स्वरूप प्रार्थी परसाराम से कुल राशि 97,756/- रूपयें (अक्षरे सत्तानवे हजार सात सौ छप्पन रूपये मात्र) वसूलकर अप्रार्थी को भुगतान करें। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावें एवं मौके पर कोई अवरोध पाए जाएं तो उन्हें हटाएं। यदि अप्रार्थी उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावे, अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलंब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 26/08/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:57:18 IST
Reason: SelfAttested